

सर्व अधिकार

आपत्तिलय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

प्राची

रविन्द्र

गिर्वा

उपखण्ड

किस प्रकार

अ. ७२

पत्रावली संख्या

११५/१८

सं.

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

उपखण्ड प्राची
उपखण्ड प्राची

६. ९. २१

पत्रावली पत्रा इवै। प्राची आधिकारिता उपस्थित नही।
पत्रावली लम्बे समय से प्राची अनुपस्थित में अंकित होना
प्राची आधिकारिता अथवा प्राची को उपस्थित होने हेतु पूर्व में
अन्तिम अवसर दिया जा चुका है। न्यायालय द्वारा ऊठ-
ऊठ कर तीन बार आवाज लगाई गई। बावजूद इसके
उपस्थित नही हुआ। जिससे जाहिर होता है कि प्राची अपने
प्राधान्य के प्रति ज़िम्मेदार नही है।

अतः प्राची का प्राधान्य पत्र अन्तर्गत आदेश १
नियम ४ के तहत अदम हाजरी- अदम पैरवी में
स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे डेजलान लुनाया
गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

[Signature]
प्रतिभा वर्मा
IAS
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर